ज्ञान तत्व अंक 208

(क) लेख– सत्ताईस अगस्त इकतीस अगस्त तक की यात्रा विवरण।

(ख) श्री संभाजी पवार विद्या वाचस्पति, घटांगा, परभणी,महाराष्ट्र का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(ग) श्री रामतीर्थ अग्रवाल, मनो चिकित्सक, हरिनगर, दिल्ली का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(घ) –डा. सुनीलम्, जनसत्ता चार सितम्बर। का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(च) –श्री बी.के.चम प्रसिद्ध लेखक और विचारक का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(छ)– श्री रामबहादुर राय, सम्पादक प्रथम प्रवक्ता पाक्षिक, दिल्ली। का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(ज) कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर ।

(झ) उत्तरार्ध

(क)सत्ताइस अगस्त से इकतीस अगस्त तक की यात्रा विवरण

सत्ताइस अगस्त को सेवाग्राम आश्रम में ठाकुरदास जी बंग की अध्यक्षता में लोक स्वराज्य अभियान की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में मैं भी शामिल रहा। बैठक में लोक स्वराज्य अभियान का नाम बदलकर लोक स्वराज्य संघ करना तय हुआ। तय हुआ कि अगले चार माह में न्यूनतम एक हजार सदस्य बनाये जायें। सदस्यता शुल्क स्वैच्छिक हो फिर भी प्रयत्न करें कि ग्यारह रूपये करीब अवश्य मिलें। यदि कोई एक रूपया ही दे तब भी सदस्य बना सकते हैं। ईश्वर दयाल जी राजगीर बिहार को सचिव का दायित्व दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी आर्य बने रहेंगे। श्री रामकृष्ण जी पौराणिक, श्री केशव चौबे जी तथा श्री अमरसिंह जी आर्य को केन्द्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया।

बाद में श्री ओम प्रकाश जी दुबे ने बताया कि लोक स्वराज्य संघ भी सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर अभियान चलायेगा कि परिवार गांव जिले के अधिकारों की सूची संविधान में शामिल हों । लोक स्वराज्य संघ भी मानता है कि लोक और तंत्र के बीच बढ़ती दूरी के क्रम में तंत्र का शक्तिशाली होते जाना समाज की सबसे बड़ी समस्या है। यह दूरी घट जाना सभी समस्याओं के समाधान का प्रारंभ हैं। अन्य समस्याओं के समाधान

में तब तक सफलता संभव नहीं जब तक लोकतंत्र लोकनियंत्रित न हो। श्री केशव चौबे उर्फ स्वराज्य बाबा ने रामानुजगंज ब्लाक में गांव गांव तक इस विचार को बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि अम्बिकापुर में इस कार्य के लिये एक आश्रम भी शुरू किया जायेगा।

श्री पौराणिक जी ने उज्जैन में बैठक का प्रस्ताव किया। बाद में चर्चा उपरान्त तय हुआ कि पचीस दिसम्बर से एक जनवरी तक के रामानुजगंज में ज्ञान यज्ञ परिवार द्वारा आयोजित सम्मेलन में ही लोक स्वराज्य संघ की भी बैठक रखी जावे। यह बैठक संभवतः उन्तीस दिसम्बर को हो सकती है जिसकी विधिवत् सूचना ईश्वर दयाल जी देंगे। लोक स्वराज्य संघ का सम्मेलन अलग से बारह फरवरी को रामानुजगंज में हो सकता हैं। इस सम्मेलन में अमरनाथ भाई तथा सुव्वाराव जी सहित अनेक महापुरूषों के आने की संभावना हैं। यदि स्वास्थ्य ठीक रहा तो ठाकुरदास जी बंग भी आ सकते हैं। ज्ञान यज्ञ परिवार इस सम्मेलन की सहायता करेगा।

बजरंग मुनि जी ने स्पष्ट किया कि ज्ञान यज्ञ परिवार द्वारा रामचन्द्रपुर विकास खंड के गावों में जो ग्रामसभा सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया हैं उसका भी एक ही सूत्र है जो लोक स्वराज्य संघ का हैं अन्तर सिर्फ यह है कि ज्ञान यज्ञ परिवार इस एक सूत्र से परिणामों के चार सूत्र ''(1)अहिंसक समाज रचना (2)वर्ग विद्वेष में कमी(3)पंचायतों में भ्रष्टाचार पर अंकुश तथा (4)अर्थ व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप में कमी ''के रूप में पचीस दिसम्बर तक समय वद्ध परिणाम का आकलन करना कराना चाहता है जिससे भविष्य की रूपरेखा बन सके। आकलन के क्रम में आवश्यकतानुसार हेर फेर भी इस सम्मेलन में संभव हैं। दिसम्बर में आयोजित सम्मेलन का नाम लोक स्वराज्य सम्मेलन रखा गया हैं।

उन्तीस अगस्त को मैं श्री विजय कौशल जी महाराज के मार्गदर्शन में निकली टीम की दिल्ली स्थित बैठक में आमंत्रित था। बैठक में दिल्ली और आसपास के करीब पचीस लोग थे जो सभी संघ विचारधारा के दिखे। बैठक का संचालन स्वदेशी जागरण मंच प्रमुख लालजी भाई ने किया। उन्होंने देश की वर्तमान सामाजिक राजनैतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि संघ के प्रयत्नों के परिणामों में कुछ ठहराव दिखने लगा है। माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने बहुत पहले ही ऐसा इशारा किया था जिसे हम नहीं समझ सके। अब समझने की जरूरत है और कुछ नये मार्ग भी तलाशे जायें। हम कोई संगठन नहीं बना रहे किन्तु हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि समाज के अच्छे लोग विकेन्द्रित राजनैतिक सत्ता को आधार मानकर एकजुट हो जिससे समाज में राज्य का हस्तक्षेप घटे और स्थानीय इकाइयों का बढ़े। उन्होंने बताया कि राइट टू रिकाल भी हमारे प्रयासों का आधार बनना चाहिये। सारी चर्चा में मुझे कुछ सार्थक पहल दिखी क्योंकि संघ या बाबा रामदेव जी व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता परिवर्तन तक सीमित हैं। दोनों का मानना है कि अच्छे लोग सत्ता में आ जावेंगे तो सबकुछ ठीक हो जावेगा। लालजी भाई का मानना था कि अच्छे लोग यदि विकेन्द्रीयकरण या राइट टू रिकाल की व्यवस्था को आगे करके सत्ता में आते हैं तभी कुछ बदलाव संभव है।

अनौपचारिक चर्चा में वहॉ वैसी भी बातें उठीं जो आमतौर पर संघ वालों के बीच उठती ही हैं जैसे (1)स्वतंत्रता के समय सम्पन्न किसी इन्डिपेन्डेन्स ट्रीटी की चर्चा (2) गांधी हत्या गोडसे द्वारा नहीं की गई (3) लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुकर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, आदि महापुरूषों की योजना वद्ध हत्याऍ कराई गई (4) इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी संजय गांधी की हत्याऍ भी अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र का भाग

(5)भारतीय अर्थव्यवस्था पर पश्चिम का बढ़ता प्रभाव चिन्ता जनक आदि। ऐसी बेसिर पैर की बातें मैं संघ की बैठकों में सुनने का अभ्यस्त रहा हूँ। मैंने सुझाव दिया कि इस प्रकार की कपोल कल्पित बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, प्रभाव भी डालती हैं, लगाव जुड़ाव भी पैदा करती हैं किन्तु तर्कपूर्ण विचारों से भटका देती हैं। आज संघ परिवार में गंभीर चर्चाओं का या स्वतंत्र विचार मंथन का इसलिये अभाव हो गया है क्योंकि इस प्रकार की अनर्गल चर्चाओं में रस प्राप्त होने लगा है। मैंने कहा कि यदि ऐसी अप्रमाणित चर्चाएँ न भी हो तो आपके प्रभाव में कमी नहीं आयेगी। यदि सीमित और तर्क पूर्ण चर्चाओं से ही उद्देश्य पूरा हो जावे तो ऐसी अनर्गल चर्चाओं का सहारा लेना ठीक नहीं। वहॉ उपस्थित साथियों ने भी समर्थन किया।

मैंने स्पष्ट जानना चाहा कि बाबा रामदेव जी भी चुनाव लड़ाने की घोषणा कर चुके हैं, संघ पारिवार भाजपा को लड़ायेगा ही, विजय कौशल जी महाराज की यह टीम भी उसकी तैयारी कर ही रही है और तीनों की पृष्ठभूमि एक है तो हम क्या करें? तो लालजी भाई ने स्पष्ट किया कि हम न चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं न संगठन बनाने की। किन्तु परिस्थितियॉ ऐसी है कि संघ में ठहराव आ गया है, रामदेव जी सत्ता परिवर्तन को ही व्यवस्था परिवर्तन मान रहे हैं तो क्यों न एक नये विकल्प की चर्चा की जाये। यदि विकल्प दिखता है और कोई सन् पचहत्तर सरीखी हवा चलती है तो हमें चुनाव लड़ना नहीं पड़ेगा बल्कि जनता स्वयं ही चुनाव लड़ लेगी। मुझे भी लगा कि ठहराव की अपेक्षा विकल्पों पर चर्चा कोई गलत प्रयास नहीं।

मुझे खुशी है कि संघ में ठकराव की बातें संघ से उठनी शुरू हुई हैं। मेरी सलाह है कि गंभीर विचार मंथन को कर्णप्रिय सुनी सुनाई हवाई बातों से बचकर गंभीर विचारों तक सीमित करना चाहिये तभी कोई विकल्प बन सकेगा। मुझे खुशी है कि सर्वोदय खेमा भी गांधी शब्द की प्रशंसा और लोक स्वराज्य का जी जान से आज तक विरोध करता रहा किन्तु सेवाग्राम से ही लोक स्वराज्य की आवाज भी उठ रही है। दूसरी ओर संघ परिवार ने गांधी के नाम और विचार का भरपूर विरोध करने में ही अपनी सारी शक्ति लगा दी और अब समझ में आना शुरू हुआ है कि समाज को राजनीति के चंगुल से मुक्त कराने का एक मात्र मार्ग लोक स्वराज्य ही है। इन चार दिनों में दो विपरीत ध्रुवों के बीच चर्चा से आशा की उम्मीद बंधती है।

पत्रोत्तर

(ख) श्री संभाजी पवार विद्या वाचस्पति, घटांगा, परभणी,महाराष्ट्र

प्रश्न– मुनि मंथन और गाड़िया जी द्वारा लिखित ''बस अब बहुत हो चुका ''पुस्तकें पढ़ी। आप आर्य समाज के प्रसिद्ध विचारक लगते हैं। क्योंकि आर्य विद्वान ही वास्तविक समाधान खोज सकता हैं । लीक से हटकर चलना सबके बस की बात नहीं। आप अपना और साहित्य भेजिये। स्वामी दयानन्द का संदेश धर धर तक पहुॅचना चाहिये।

उत्तर– लगता है कि आपने मेरे विषय में ठीक नहीं समझा। स्वामी दयानन्द ने जो संदेश दिया वह आर्यसमाज समाज तक पहुॅचा रहा है। स्वामी जी की मृत्यु बहुत कम उम्र में अकाल मृत्यु हुई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि स्वामी जी पूरी उम्र जीते तो संभव है कि बहुत कुछ नया सोच पातें। यह भी संभव था कि वे अपने निष्कर्षो में से किसी में संशोधन भी करतें। अनेक निष्कर्ष ऐसे भी होते है जो सच होते हुए भी उनके क्रियान्वन की प्राथमिकताएॅ देश, काल परिस्थिति अनुसार बदलती रहती हैं। स्वामी जी ने हमें यह संदेश कभी नहीं दिया कि मेरे मरने के बाद भी मेरे कथन को ही स्वतः प्रमाण समझो। उन्होंने कई बातें बताई थी। उनमें से दो बातें मैंने ग्रहण की। (1) सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिये सदा तैयार रहना चाहिये। (2) प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत मामलों में निर्णय की पूरी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये और सामूहिक मामलों में निर्णय करने में सब परतंत्र रहें। इन दो बातों को मैंने गांठ बांध ली। यदि किसी विषय पर स्वामी जी के कथन में संशोधन भी करना पड़े तो मैं तैयार रहता हूॅ यद्यपि वैसी जरूरत ही नहीं पड़ी।

मेरे विचार में स्वामी दयानन्द ने सर्वप्रथम लोक स्वराज्य का बीजारोपण किया जिसे महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया। गांधी ने लोक स्वराज्य को स्वामी जी की अपेक्षा ज्यादा ठीक ढंग से समझाया। दुर्भाग्य है कि स्वामी जी और गांधी जी की मृत्यु के बाद आर्य समाज भी लोक स्वराज्य को भूल गया और गांधीवादियों ने तो सत्ता में जाकर या सर्वोदय बनाकर लोक स्वराज्य का ही गला घोंटना शुरू कर दिया। जब लोहिया जी ने चौखम्बा राज की आवाज उठाई तब भी सर्वोदय ने उनका विरोध किया और जब जयप्रकाश जी ने उठाई तब भी विनोबा समर्थकों ने विरोध किया। आज भी ठाकुरदास बंग लोकस्वराज्य की आवाज उठा रहे हैं तो विरोध करने में सबसे आगे सर्वसेवा संघ ही खड़ा दिखाई देता हैं। मैं पूरा पूरा प्रयत्नशील हूॅ कि लोक स्वराज्य को आज की प्राथमिक आवश्यकता मानकर आगे बढ़ा जाय। ब्रम्हचारी राजसिंह जी इस योजना से सहमत हैं। वे पचीस दिसम्बर से एक जनवरी तक रामानुजगंज में हो रहे लोक स्वराज्य सम्मेलन में भी रहने की स्वीकृति दिये हैं। सम्भवतः वे छव्वीस सत्ताइस से रहेंगे। रामानुजगंज के निकट के एक सौ तीस गांवों में नई समाज रचना का काम भी शुरू है ही। वहीं बैठकर चर्चा होगी। आप सब मित्र भी साथियों सहित आइयें।

(ग) –श्री रामतीर्थ अग्रवाल, मनो चिकित्सक, हरिनगर, दिल्ली

समीक्षा– ज्ञान तत्व अंक दो सौ छ मिला। आपकी तर्कशक्ति का कायल रहा हूॅ। यह अंक तो और भी महत्व का है। श्री ए.के. अरूण जाने माने लेखक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। उनका लिखा पत्र भी पढ़ा, उसकी भाषा भी समझी और उनकी विक्षिप्तताओं का भी ग्यान हुआ। असहमत विचारों का विरोध तो होना ही चाहिये किन्तु विरोध के नाम पर व्यक्तिगत आरोप लगाना बुरी आदत हैं। उन्हें आपका उत्तर पढ़कर सीख लेनी चाहिये।

मैं विकलांग होते हुए भी दिल्ली से द्वारका तक पूर्व के दो अभियानों की तरह अपनी तिपहिया गाड़ी से ही यात्रा की योजना बना रहा हूॅ। यदि कोई संगठन या साथी प्रायोजित कर सकें तो अच्छा होता। आपके अम्बिकापुर के ही डाक्टर राजकुमार मिश्र ने मेरे साथ जो अन्याय किया उसकी पूरी जानकारी आपको है ही। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर उन्हें दण्ड देगा।

अंक दो सौ छः के अन्तिम पांच पृष्ठ मैं दो तीन बार पढ़ा। सोहराबुद्दीन कौशर बी हत्या प्रसंग पर आपकी विवेचना बहुत अधिक तर्क संगत थी। यह अंक नरेन्द्र मोदी जी को भी जाना चाहिये जिससे उन्हें भी लगे कि बुद्धिजीवी विचारक सत्य को किस रूप में देख रहा है। यह अंक और उसका कौशर बी सोहराबुद्दीन वाला भाग विशेष रूप से अन्य प्रमुख विद्धानों तक पहुंचना चाहिये।

काश इन्डिया डाट काम की प्रगति भी संतोष प्रद हैं। ''फूट डालों राजकरों ''अंग्रेजों की नीति रही जो आज तक जारी हैं। अंग्रेज नेहरू जी को प्रश्रय देकर पटेल को किनारे करते रहते थे। अंग्रेज गांधी नेहरू को बढ़ाकर सुभाष बाबू को भी किनारे करते रहते थे। आज भी उसी तरह फूट डालने का कार्य प्रारंभ है। आप ठीक दिशा में बढ़ रहे है। ज्ञान तत्व अधिक से अधिक पाठकों तक पहुॅचे यह प्रयत्न चलता रहें।

उत्तर– आपने कुछ सुझाव दिये उन पर हमारी टीम ध्यान देगीं आशा है कि आपका सहयोग समर्थन मिलता रहेगा।

(घ) –डा. सुनीलम्, जनसत्ता चार सितम्बर।

विचार संक्षिप्त– सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को एक पहचान पत्र प्रदान करने की योजना बनाई है। इस योजना पर प्रति व्यक्ति साढ़े चार सौ रूपये खर्च बैठता है जो कुल मिलाकर डेढ़ लाख करोड़ हो जाता है। मैं नहीं समझता कि सरकार को इतनी बड़ी धन राशि इस बेमतलब के प्रयास पर क्यों खर्च करनी चाहियें। एक ओर तो शासन ने शिक्षा पर तेरह सौ बत्तीस करोड़ खर्च करके ही अपनी मुट्ठी बन्द कर ली। स्वास्थ्य पर भी शासन छः सौ इक्यावन करोड़ से आगे नहीं बढ पा रहा। दूसरी ओर पहचान पत्र बनाने पर डेढ़ लाख करोड़ का खर्च हो रहा है। इतने खर्च से कई जनकल्याणकारी योजनाऍ चल सकती है। इस कार्य का लाभ भी क्या है? उल्टें अल्पसंख्यकों तथा दलितों को कठिनाइयां ही बढ़नी हैं। भारत के सभी जनसंगठन इस योजना के विरूद्ध हैं फिर भी सरकार कुछ नहीं सुन रहीं।

उत्तर– आपको यह जानकारी होनी चाहिये कि करीब तीस वर्ष पूर्व ही मैंने लेख लिखकर सरकार से बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की थी। बाद में भी मैंने कई बार यह प्रश्न उठाया था। मैंने परिवार को एक कोड नंबर देने की बात कहीं थी जो नौ अंक का होता। वहीं क्रमांक उस परिवार के लिये बैंक नम्बर फोन नम्बर गाड़ी नम्बर, भूअभिलेख, न्यायालय का केश या मकान नम्बर आदि में काम आता। अब सरकार ने परिवार को इकाई न मानकर व्यक्ति को इकाई माना है तो नम्बर बढ़कर बारह हो जाना स्वाभाविक है। मैं इस योजना के पूरी तरह पक्ष में हूॅ।

जहॉ तक जन संगठनों के विरोध का प्रश्न है तो कुछ पेशेवर जन संगठनों को छोड़कर अन्य सभी जन संगठन इसके समर्थक हैं। कुछ जन संगठनों को दिक्कत यह है कि यह योजना अल्प संख्यकों के विरूद्ध होगी। मैं समझता हूॅ कि भारत के जो अल्पसंख्यक विदेशियों का गुपचुप भारत में प्रवेश कराकर अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तो कठिनाई होगी ही। इस पहचान पत्र के कई लाभ हैं उनमें से एक लाभ यह भी है कि इससे विदेशियों को भारतीय बनने में कठिनाई होगी। यदि आपने अल्पसंख्यकों की कठिनाई को समझा तो मैं मानता हूॅ कि आपने ठीक ही समझा हैं। जो लोग भारत में ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं उन्हें कठिनाई होगी ही। यदि आप ऐसा कोई सपना पाले हों तो परेशानी अवश्य होगी।

आपने कुछ आंकड़े दिये। कुल खर्च डेढ़ लाख करोड़ होगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पहचान पत्र पर सरकार का खर्च साढ़े चार सौ रूपया होगा। एक सौ बीस करोड़ की आबादी साढ़े चार सौ रूपया प्रति

व्यक्ति का खर्च करे तो चौवन हजार करोड़ ही होता है। यह चौवन हजार करोड़ भी चार वर्ष में खर्च होना है। एक वर्ष में करीब दस बारह हजार करोड़ का ही खर्च आयेगा जो आपके अनुमान से दसवें भाग के ही बराबर होगा। दूसरी ओर आपने शिक्षा का बजट तेरह सौ बत्तीस करोड़ और स्वास्थ्य का छ सो इक्यावन करोड़ लिखा। ये सभी आंकड़े मेरी जानकारी में गलत है। बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र पर होने वाला कुल खर्च आपके डेढ़ करोड़ से कई गुना कम है तो शिक्षा स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च आपके आंकड़ों से कई गुना ज्यादा। प्रदेश सरकारें तथा स्थानीय इकाइयां भी शिक्षा स्वास्थ्य पर अलग से खर्च करती हैं। मैं नहीं समझता कि आपसे भूल हुई या आपने जानबूझकर ऐसी भूल की। आप मेरे पूर्व परिचित है इसलिये मैंने इस संबंध में लिखना ठीक समझा। आज कल एक हवा चली है कि किसी भी विषय पर अपना पक्ष मजबूत करने के लिये मनगढंत आंकड़े प्रस्तुत कर दिये जावें और यदि पकड़ में आ जावे तो प्रिंटिंग की भूल मान लें। स्वामी अग्निवेष जी तो ऐसा आम तौर पर करते ही हैं। और भी कई लोग करते रहते हैं। मेरे विचार में ऐसा करना ठीक नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें और यदि भूल हुई है तो आप सुधारें। जनसत्ता जैसा अखबार बार बार ऐसी बातें बिना प्रामाणिकता के छापता रहे यह उसके लिये भी ठीक नहीं।

इस योजना पर होने वाले व्यय की तुलना में लाभ बहुत ज्यादा हैं। सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा प्रयास हैं आतंकवाद पर भी अंकुश लगेगा। विदेशी घुसपैठ भी रूकेगी। भ्रष्टाचार भी कम होगा। राशन के स्थान पर नगद धन देने की योजना भी अच्छी योजना है। बीच में परजीवी जन संगठन मारे जायेंगे क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप घटेगा तथा बिचौलिये अपने आप भूखे मरेंगे। स्वाभाविक है कि बिचौलिये चिन्तित होंगे।वैसे भी न्याय और सुरक्षा सरकार का दायित्व होता है शिक्षा और स्वास्थ्य स्वैच्छिक कर्तव्य है। पहचान पत्र अन्य लाभों के साथ साथ सुरक्षा और न्याय के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है उसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यो के साथ जोड कर तुलना करना उचित नहीं । आप इस पर फिर –विचार करियेगा।

(च) –श्री बी.के.चम प्रसिद्ध लेखक और विचारक

विचार– (पंजाब केशरी तेइस जुलाई के संदर्भ से)

पाकिस्तान आतंकवादियों के जाल में फंस कर अपनी सुरक्षा की रट लगा रहा है। दूसरी ओर कश्मीर हड़पने के लिये भी हाथ पांव पटक रहा है। पाकिस्तान लगातार भारत को अस्थिर किये हुए है। भारत सरकार को पाकिस्तान के संबंध में स्पष्ट नीति बनानी चाहिये जिससे वह काश्मीर को मुद्दा बनाकर भारत को परेशान न कर सके।

समीक्षा– आपने अपने लेख में काश्मीर मुद्दे पर गंभीर चर्चा की है। आपने कश्मीर समस्या को भारत पाकिस्तान विवाद के रूप में देखने की भूल की है। सच्चाई यह है कि कश्मीर विवाद मुस्लिम कट्टरवाद विस्तार योजना का परिणाम है, पाकिस्तान के विस्तारवाद का नहीं। पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में इस समस्या से सिर्फ लाभ उठाना चाहता है। इस लाभ उठाने की प्रक्रिया में पाकिस्तान को लाभ भी है और मजबूरी भी। वह चाहकर भी काश्मीर भारत को नहीं दे सकता क्योंकि वह भी तो मुस्लिम बहुल राष्ट्र ही है।

यह हमारी ना समझी है कि हम इस्लाम और पाकिस्तान को एक मान कर चल रहे हैं। इस्लाम में तीन प्रकार के लोग हैं (1)कट्टरपंथी (2) मध्यमार्गी (3) नरमपंथी। पाकिस्तानी सेना में नरमपंथी अल्पमत में

है और सरकार में बहुमत में। कट्टरपंथी मुसलमान नरमपंथी मुसलमानों को कमजोर करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। पश्चिमी देश पाकिस्तान को कट्टरपंथियों के हाथ में नहीं जाने देना चाहते। इसलिये भारत को बहुत सोच समझ कर अपनी नीति बनानी चाहिये। कश्मीर की लड़ाई दुनिया का कट्टरपंथी मुस्लिम समूह लड़ रहा है। कश्मीर का कट्टरपंथी समूह उसमें शामिल है। कश्मीर का मध्यम वर्ग भी उसमें शामिल हो गया है। कश्मीर के उदारवादी मुसलमान कम भी हैं और दब भी गये हैं। भारत के कट्टरवादी मुसलमान भी कश्मीर के कट्टरवादियों के पक्ष में हैं। उन्हें पाकिस्तान से मतलब नहीं। यदि पाकिस्तान में भी उदारवादी इस्लाम मजबूत होता है तो ये लोग वहॉ भी कट्टरवाद का समर्थन करेंगे, सरकार का विरोध। ऐसी स्थिति में कश्मीर के वर्तमान हालात के लिये पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाना हमारी ना समझी का प्रतीक है। सबको मालूम है कि कश्मीर का नवीनतम टकराव इस्लामिक आतंकवाद प्रेरित है, पाकिस्तान सरकार प्रेरित नहीं। फिर भी आप पाकिस्तान की रट लगाकर सच्चाई को भटका रहे हैं। जब कश्मीर से हिन्दू पण्डितों को खदेड़ा गया तभी सतर्क होना चाहिये था किन्तु हम नहीं हुए। जब बम्बई में पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी हमला हुआ तब भी हमने इस्लामिक आतंकवाद को मुद्दा न बनाकर पाकिस्तान को पहला निशाना बनाया। परिणाम हुआ कि सारी दिशा ही बदल गईं । अब भी हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा पहला खतरा इस्लामिक आतंकवाद हैं। यदि हम पाकिस्तान या सभी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं तो भूल होगी क्योंकि अभी पाकिस्तान की सरकार तालिवानियों की नहीं है। अभी पाकिस्तान के उदारवादियों को भारत से नैतिक साहस चाहिये न कि आलोचना। भारत में भी जो मुसलमान आतंकवाद के प्रति थोड़ा भी नरम रूख रखते हों उनका विरोध होना चाहिये। यदि हिन्दू भी ऐसा करें तो उनकी भी आलोचना करें। अभी केन्द्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम् जी ने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। स्वाभाविक ही था कि संघ परिवार इस शब्द के विरूद्ध आवाज उठाता क्योंकि गृहमंत्री के उल्लेख का स्पष्ट इशारा संघ प्रायोजित आतंकवाद की तरह ही था। दिग्विजय सिंह जी को भी बुरा लगना ही था क्योंकि चिदम्बरम् जी की हर बात के विरोध का नेतृत्व तो उन्होंने ही सम्हाला हुआ है। राहुल गांधी सोनिया गांधी स्वयं तो कुछ बोलते नहीं लेकिन कार्यकर्ता उनका इशारा समझ जाते हैं। गृहमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से इन दोनों में भी कुछ घबराहट तो दिखी ही है। विचारणीय प्रश्न यह है कि भगवा आतंकवाद शब्द का उपयोग जिसकी तरफ इशारा करके किया गया उन सबको अलग अलग कारणों से बुरा लगा। किसी आम हिन्दू को बुरा नहीं लगा। मुझे भी नहीं लगा। क्योंकि भगवा शब्द आम हिन्दू धर्म वालों का प्रतीक चिन्ह है जिसे धीरे धीरे संघ परिवार अपने लिये पेटेंट बना रहा है। यदि भगवा आतंकवाद या हिन्दू आतंकवाद शब्द प्रचलन में आता है तो यह बहुत दुर्भाग्य जनक स्थिति है। इस शब्द के प्रचलन को निरूत्साहित करना आवश्यक है किन्तु साथ ही यह भी विचारणीय है कि इस शब्द के प्रचलन विस्तार में सिर्फ विस्तारकर्ता ही गलत हैं अथवा भगवा या हिन्दू शब्द के पेटेंट कर्ता भी। हिन्दू शब्द और भगवा ध्वज की आड़ में आतंकवाद का उपयोग करने वाले अभिनव भारत जैसे संगठन और उनके संरक्षक संघ परिवार के लोग भी विचार करें कि क्या इसके लिये वे दोषी नहीं हैं। भारत का आम मुसलमान आतंकवादी नहीं है किन्तु उसकी सहानुभूति आम तौर पर उनके साथ होने से मुस्लिम शब्द आतंकवाद के साथ जुड़ गया है। यदि संघ परिवार ने जोर शोर से हिन्दू आतंकवाद का विरोध नहीं किया तो उसके साथ भी यह शब्द जुड़ ही रहा हैं चूँकि संघ परिवार ने हिन्दू शब्द और भगवा रंग को अपना पेटेंट मानना शुरू कर दिया है और वह आतंकवाद का समर्थन करेगा तो उसके बुरी पहचान का प्रभाव हम सब हिन्दुओं पर पड़ेगा। आम हिन्दू समाज के सोचने का समय है कि वह या तो संघ परिवार को आतंकवाद के विषय में नीति बदलने को मजबूर करे या इस शब्द और इस रंग के एक पक्षीय प्रयोग को पेटेंट न होने दे। संघ परिवार को हिन्दू समाज ने अपना

प्रतिनिधि नहीं माना है किन्तु संघ परिवार के एकपक्षीय प्रचार से धीरे धीरे भ्रम फैलने लगा है। इस लिये हम हिन्दुओं का कर्तव्य है कि हम इस शब्द के प्रचलन के प्रति गंभीर हो।

(छ)– श्री रामबहादुर राय, सम्पादक प्रथम प्रवक्ता पाक्षिक, दिल्ली।

प्रश्न– ज्ञान तत्व कभी कभी पढ़ लेता हूँ। अंक दो सौ चार में आपने खाप पंचायते आनर कीलिंग तथा प्रेम विवाह पर विस्तृत विवेचना की है। आपने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को प्रेम विवाह करने का स्वतंत्र अधिकार है चाहे वह सगोत्र ही क्यों न हों। आपका यह वाक्य तो बहुत ही अवैज्ञानिक हैं। आप अपने इस वाक्य को और स्पष्ट करिये अथवा यदि कुछ विसंगति हो तो ठीक करिये।

उत्तर– मैंने जो वाक्य लिखा उससे इस लिये भ्रम हुआ कि मैंने इस शब्द की विस्तृत विवेचना नहीं की। पूर्व में ज्ञान तत्व में मूल अधिकार , अपराध, सरकार और समाज आदि शब्दों की व्यापक चर्चा हो चुकी थी इसलिये पुनरोक्ति दोष से बचने के लिये मैंने इस तरह शार्ट कट लिख दिया। सच्चाई यह है कि मैं पूरी तरह सगोत्र विवाह के खिलाफ हूँ। फिर भी मैंने जो लिखा वह सही लिखा यह समझने के लिये व्यापक विवेचना करनी आवश्यक है।

व्यक्ति , परिवार, समाज और राज्य ये चार बिल्कुल स्वतंत्र अधिकार प्राप्त इकाइयॉ हैं न कि कोई एक अन्य तीन से वरीयता प्राप्त। व्यक्ति के जो स्वतंत्र अधिकार होते हैं उन्हें मूल अधिकार कहते हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं। इनकी परिभाषा यह है ''व्यक्ति के वे अधिकार जिनमें राज्य सहित कोई भी अन्य किसी भी स्थिति में तब तक उसकी इच्छा के बिना कोई कटौती न कर सके जब तक उस व्यक्ति ने किसी अन्य

के वैसे ही अधिकारों में कटौती न की हो''। मूल अधिकार की यह परिभाषा न समझने के कारण ही भ्रम पैदा हुआ। संविधान निर्माताओं ने भी इस परिभाषा को नहीं समझा। बाद में तो समझने का सवाल ही नहीं उठता। इस परिभाषा के अनुसार मूल अधिकार सिर्फ चार होते हैं (1)जीने का (2)अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का(3)सम्पत्ति का (4)स्व निर्णय का। पूरी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार स्वतः प्राप्त होते हैं न कि संविधान देता है जैसा कि आज के संविधान विद् कहां करते हैं। संविधान इन चार व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मात्र ही देते हैं, अधिकार नहीं देते । भारतीय संविधान ने दो अधिकार अभी कटौती कर रखें है(1)सम्पत्ति का (2)स्व निर्णय का। ये दो कटौतियॉ वास्तव में अपराध है जिनकी चर्चा बाद में करेंगे।

कुल अधिकार तीन प्रकार के होते हैं (1) मौलिक अधिकार (2)संवैधानिक अधिकार (3)सामाजिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लंधन अपराध होता है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंधन गैर कानूनी तथा सामाजिक अधिकारों का उल्लंधन अनैतिक कहा जाता हैं इसी तरह अपराधों को समाज विरोधी तथा अनैतिक कार्यो को असामाजिक कार्य माना और कहा जाता है। जो कार्य गैर कानूनी तो हैं किन्तु अपराध नहीं वे राष्ट्र विरोधी या सरकार विरोधी कार्य कहे जा सकते हैं, अपराध या अनैतिक नहीं।

अधिकार भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य के पृथक पृथक निश्चित, घोषित और सीमा वद्ध होते हैं। कोई इकाई किसी अन्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती। ऐसा अतिक्रमण अपने आप में अपराध हो जाता है। व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरूष , अपनी काम इच्छा की पूर्ति करना उसका मौलिक अधिकार होता है। परिवार, समाज या राज्य उसकी सहमति के बिना इस संबंध में कोई कानून नहीं बना सकते। यदि बनाते है तो वह कानून अपराध होगा। फिर भी स्वतंत्र काम इच्छा पूर्ति को संतुलित करने के लिये परिवार और समाज कुछ नियम बनाता है। इन नियमों को विवाह कहते हैं। यघपि ये नियम व्यक्ति के लिये बाध्यकारी नहीं होते किन्तु व्यक्ति को परिवार और समाज के साथ रहना मजबूरी है इसलिये उसे परिवार और समाज के अनुशासन को मानना ही पड़ता हैं। यदि वह अनुशासन न माने तो परिवार या समाज उसे दण्डित तो नहीं कर सकता किन्तु बहिष्कृत तो कर सकता है और ऐसा सामूहिक बहिष्कार लम्बे समय तक वह नहीं झेल पाता। इसलिये वह परिवार और समाज के अनुशासन को स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि विवाह में लड़के लड़की की स्वीकृति, परिवार की सहमति और समाज की अनुमति का प्रावधान होता है। लड़के लड़की की स्वीकृति के बिना कोई विवाह सम्पन्न ही नहीं हो सकता। यदि दोनों की स्वीकृति हो और परिवार की सहमति न हो तो वह प्रेम विवाह माना जाता है जो दो व्यक्तियों के बीच का अनुबंध मात्र है किन्तु विवाह नहीं क्योंकि वह दो परिवारों के बीच का सम्बन्ध नहीं हैं यदि लड़के लड़की भी सहमत हैं और परिवार भी तो सामाजिक अनुमति यदा कदा ही बाधक होती है, आम तौर पर नहीं।

भाई बहन का शारीरिक काम संबंध वैज्ञानिक दृष्टि से वर्जित है इसे मैं मानता हूॅ। सरकार उसे पीढ़ियों में गिनती है। तीन पीढ़ी तक मां और पांच पीढ़ी तक के पिता के वंशज सपिण्ड माने जाते हैं और इससे उपर के सगोत्र। सरकार द्वारा ऐसा पीढ़ियों का आधार एक व्यवस्था मात्र है, कोई तर्क संगत आधार नहीं। यह कुछ कम ज्यादा भी संभव हैं। सपिण्ड या सगोत्र विवाह के वैज्ञानिक निषेध की मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है यघपि मैं इसे पूरी तरह इसलिये मानता हूॅ क्योंकि मुझे पूर्वजों की वैज्ञानिक खोजों में से

इस खोज पर पूरा पूरा विश्वास है। दूसरी बात यह भी है कि इस तरह यदि गोत्र छोड़ भी दें तो कोई विशेष परेशानी का कारण नहीं। यदि आबादी बहुत कम होती तब कोई दिक्कत आ सकती थी। तीसरी यह कि इस तरह परिवार और गोत्र छोड़कर विवाह करना सामाजिक मेल मिलाप में भी सहायक ही है, बाधक नहीं। इसलिये इस प्रथा को बिना अपवाद तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं इसलिये मैं इसका पक्षधर हूँ।

व्यक्ति परिवार समाज और राज्य के अलग अलग अधिकार भी हैं और सीमाएं भी। व्यक्ति का अपना स्वशासन होता है, परिवार और समाज का अनुशासन और राज्य का शासन। राज्य की सीमा है कि वह सिर्फ अपराध को ही रोकने के कानून बना सकती है, अन्य कोई भी कानून राज्य नहीं बना सकता। यदि वह बनाता है तो वह उसका अतिक्रमण होगा जो अपराध ही माना जायेगा। राज्य अपने कानूनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकता हैं। इसी तरह परिवार या समाज किसी व्यक्ति को उसके किसी अपराध या अनैतिक कार्य के लिये बहिस्कृत तक ही कर सकता है, दण्डित नहीं कर सकता क्योंकि पहली बात तो यह है कि अनैतिक कार्यो में दण्ड प्रावधान ही वर्जित है। दूसरी बात यह है कि दण्डित करना सिर्फ राज्य के अधिकार क्षेत्र की बात होती है। उसमें परिवार या समाज की भूमिका शून्यवत् होती हैं। विवाह सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति परिवार और समाज तक का ही सीमित विषय होता है, उसमें राज्य की भूमिका कहीं होती ही नहीं जब तक बलात्कार न हो। तो राज्य बीच में तीन पीढ़ी और पांच पीढ़ी या विवाह या तलाक आदि के कानून बनाने वाला होता कौन है? राज्य समाज नहीं है बल्कि समाज का एक मैनेजर मात्र है जिसे अपराध की हालत में कुछ सीमित अधिकार प्राप्त है, इससे अधिक कुछ नहीं। कामेच्छा पूर्ति व्यक्ति का मौलिक अधिकार हैं। सहमत सेक्स को कोई रोक नहीं सकता। परिवार और समाज उसे अपने अनुशासन से रोक सकता है जो आज तक उसने रोका हुआ हैं वर्तमान रूकावट कोई राज्य के कानूनों के कारण नहीं। निन्यानवे प्रतिशत लोग तो पीढ़ियों का सरकारी कानून जानते तक नहीं। फिर भी यदि कोई अपवाद स्वरूप भाई बहन या गोत्र के गोत्र में सम्बन्ध बन जाते हैं तो समाज या परिवार उसे बहुत बुरा मानता है किन्तु कोई विशेष हाय तोबा नहीं करता कि उसे दण्डित ही कर दिया जाय। ऐसे समाज प्रतिबंधित सम्बन्धों में दण्डित करने की जो लहर अभी आई है वह पहले ऐसी नहीं थी जबकि पहले भी प्रेम विवाह होते थे और अपवाद स्वरूप सगोत्र विवाह भी मैंने स्वयं कई देखे हैं।

प्रश्न उठता है कि ऐसे प्रेम विवाहों को आनर किलींग के साथ जुड़ने की लहर का आधार क्या है? मेरे विचार में इस प्रकार की आनर किलींग का दोषी सबसे ज्यादा सरकारी हस्तक्षेप तथा प्रेम विवाह समर्थक ही हैं। एक लड़की ने परिवार की सहमति के बिना अपना पति चुना लिया। परिवार और समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया किन्तु सरकार, न्यायालय और प्रेम विवाह समर्थकों ने उक्त समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी। लड़की का स्वतंत्र अधिकार है कि वह अपना पति चुन लें। किन्तु उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह उसे मेरा दामाद भी घोषित कर दे क्योंकि उक्त लड़की का उक्त लड़के से विवाह तो हुआ नहीं। उसका कांट्रेक्ट मात्र सरकार में हुआ है, जिसे सरकार न्यायालय , या अन्य उसके समर्थकों का समर्थन सहयोग प्राप्त है। मैंने कोई कन्यादान नहीं किया है जो मैं उस लड़के का ससुर हो गया। जो लोग कन्यादान न करने के बाद भी मुझे ससुर कहते हैं वे गलत कहते हैं। वास्तव में ससुर या साले का रिश्ता तो उनके बीच खोजा जाना चाहिये जिन्होंने उक्त विवाह को मान्यता दी। बारात गये मीडिया कर्मी, स्वीकृति दी न्यायपालिका ने, कन्यादान किया सरकार ने और लड़के का ससुर बन गया मैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं अपनी लड़की के लिये उसकी मर्जी के बिना उसका पति घोषित कर

सकूँ तो उस लड़की को क्या अधिकार है कि वह बिना मेरी सहमति के किसी को भी मेरा दामाद घोषित कर दे। लड़की अपना पति घोषित करने तक का व्यक्तिगत अधिकार रखती है जो उसकी अन्तिम सीमा हैं इसके आगे उसे बिना मेरी मर्जी के परिवार के साथ जोड़ना अधिकार का अतिक्रमण है। उस लड़की के नये संरक्षक स्वयं सास ससुर कहे जाने से बचने के लिये हमारे परिवार को सास ससुर कहना शुरू कर देते है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। प्रेम विवाहों में यही अतिक्रमण आनर किलिंग का कारण बनता हैं। यदि लड़के लड़की प्रेम विवाह कर लें, सरकार ऐसे विवाहों को संरक्षण तो दे किन्तु प्रोत्साहित न करें और मीडिया ऐसे मामलों से रस लेना न शुरू करें तो आनर किलिंग कम हो सकती हैं।

मैं तो मानता हूँ कि आनर किलिंग के मामलों में ऐसी किलिंग से जुड़े लोग तो मुख्य अभियुक्त हों ही, ऐसे प्रेम विवाहों को अनावश्यक प्रोत्साहित करने वालों तथा रस लेने वालों को भी सह अभियुक्त बनाना शुरू किया जाय। परिवार की स्वीकृति के बिना सम्पन्न विवाहों में साला ससुर का रिश्ता समर्थकों के बीच ही जोड़ा जाय तथा सरकार सुरक्षा से आगे कोई हस्तक्षेप या प्रोत्साहन न दे तो वातावरण में बदलाव संभव है।

आप एक राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त पत्रकार रहे भी है और हैं भी। आपकी सारी दुनिया में पत्रकार के रूप में धमक है। आप ज्ञान तत्व पढ़ते हैं यह जानकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। आपका प्रश्न भी बहुत अनुकूल था। मैंने ही लेख लिखते समय बहुत संक्षिप्त करने की भूल कर दी थी। इस स्पष्टीकरण से कुछ और साफ होगी ऐसा मुझे विश्वास है।

(ज) कार्यालयीन प्रश्नोत्तर

प्रश्न– आपने महिला पुरूष संबंधों पर ज्ञानतत्व में कई जगह लिखा। आपने लिखा कि (1) पुरूष को आक्रामक Attacking तथा महिला को आकर्षक Attracting मुद्रा में होना चाहिये। क्या आपने ये निष्कर्ष सोच समझ कर निकाले हैं? (2)आपने पर्दा प्रथा पर गोलमोल बात कहीं। स्पष्ट क्यों नहीं कहते। (3) आप महिला सशक्तिकरण के विरूद्ध हैं। आप महिला आरक्षण के भी विरूद्ध हैं। आप महिला समानता के भी पक्ष में नहीं। कुल मिलाकर गंभीर विचार करें तो अच्छा होगा।

उत्तर– मैंने पुरूष को आक्रामक और महिला को आकर्षण प्रधान भूमिका के लिए परिवार में पति पत्नी संबंध के मामले में लिखा हैं पुरूष स्त्री संबंधों में नहीं। यदि महिला और पुरूष पति पत्नी न होकर भाई बहन हों तो पुरूष दाता और स्त्री दान ग्रहीता के रूप में होगी। भाई बहन के रूप में पुरूष आक्रामक न होकर संरक्षक के रूप में होगा और महिला आकर्षक न होकर संरक्षित। यदि स्त्री पुरूष की स्थिति परिवार में न होकर बाहर प्रेमी प्रेमिका के रूप में हो तो पुरूष आक्रामक न होकर चापलूस और स्त्री ठग के रूप में होती है। यदि स्त्री पुरूष की भूमिका परिवार से बाहर समाज में देखना हो तो महिला सहायता और सम्मान की पात्र होती है और पुरूष सहायक और सम्मानदाता के रूप में। पुरूष सिर्फ पति के रूप में ही आक्रामक होता है जो प्राकृतिक आवश्यकता है। मैंने ये निष्कर्ष सोच समझ कर ही निकाले हैं। राजनीति से जुड़े लोग उतने अनुभवी तो होते नहीं। पारिवारिक सीमाएँ उनमें उतनी अनिवार्य नहीं रह पातीं जितनी अन्यों में। उन्हें समाज को तोड़ने की भी भूमिका पूरी करनी है। यही कारण है कि वे प्राकृतिक सत्य की भी अनदेखी कर दिया करते हैं। हमारे समक्ष तो वैसी मजबूरी नहीं है।

पर्दा प्रथा समाज का विषय न होकर परिवार का आन्तरिक मामला है। पर्दा प्रथा बालिग स्त्री पुरूषों के बीच की दूरी बढ़ाने के लिये बनी या अत्याचार के लिये यह शोध का विषय है। मेरी समझ है कि पर्दा प्रथा का विकास स्त्री पुरूष के बीच समुचित दूरी बनाने के उद्देश्य से हुआ होगा, अत्याचार के रूप में नहीं। पर्दाप्रथा वर्तमान में पूरी तरह या तो व्यक्तिगत विषय है या पारिवारिक। यह किसी भी रूप में सामाजिक सोच का विषय नहीं। व्यक्तिगत या पारिवारिक मामलों में समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। सभी समस्याएँ इसलिये पैदा हो रही हैं कि हम इन सीमाओं को तोड़ रहे हैं। एक परिवार के लोग पर्दा प्रथा रखें या न रखें इससे आपको क्या दिक्कत है जब तक वे दोनों सहमत हैं। यदि किसी एक की सहमति न हो किन्तु वह परिवार का सदस्य है तो हम उस स्थिति में भी दखल तब तक नहीं दे सकते जब तक उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर न पड़े अथवा कोई सदस्य परिवार छोड़कर सीधा समाज का अंग न बन जावे। इस तरह स्पष्ट है कि पर्दा प्रथा हमारी चिन्ता का विषय नहीं। हम बाहर से सलाह तो दे सकते हैं किन्तु कानून नहीं बना सकते।

मैं महिला को परिवार के एक घटक से अधिक कुछ मानता ही नहीं तो उसके किसी एक भाग के सशक्तिकरण का प्रश्न ही कहॉ उठता है। महिला सशक्तिकरण की जगह परिवार सशक्तिकरण क्यों नहीं? यदि परिवार सशक्त हो, आपस में सामंजस्य हो तो आप परिवार को तोड़कर अलग अलग सशक्त क्यों करना चाहते हैं। परिवार आपस में बैठकर निर्णय कर लेगा कि किसको कमजोर होना चाहिये और किसको सशक्त। प्रश्न उठता है कि यदि परिवार आपस में ठीक व्यवहार न करके अत्याचार करे तब क्या हो? मेरे विचार में ऐसी समस्या होगी तो समाज सोचेगा। सरकार कहॉ से आ गई। जब तक व्यक्ति परिवार और समाज किसी दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करते तब तक राज्य का कोई हस्तक्षेप संभव ही नहीं। कुछ राजनेताओं को भ्रम हो गया है कि वही समाज हैं। कुछ धर्म गुरूओं को भी भ्रम हो गया है कि वही समाज हैं। राजा को पता ही नहीं मुसहर वन बांट लियें। समाज से कोई बात ही नहीं हुई न सहमति हुई। राज्य अलग से समाज बन गया और धर्म अलग से। अब समाज ने दावा प्रस्तुत किया है तो परेशानी हो रही है। महिला सशक्तिकरण किसी रूप में विचारणीय विषय है ही नहीं तो मैं क्या उत्तर दूँ।

मैं महिला आरक्षण के भी पक्ष में नहीं और महिला समानता के भी पक्ष में नहीं। भारत एक सौ तीस करोड़ व्यक्तियों का देश होना चाहिये जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो। राज्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता की सुरक्षा की गारंटी दे। राज्य का काम असमानों के बीच समानता लाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिये। राज्य का प्रयत्न प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता की गारंटी होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार प्रतिस्पर्धा करने और परिणाम स्वरूप प्रगति करने की खुली छूट होनी चाहिये। राज्य का दायित्व न किसी को रोकना है न बढ़ाना। फिर भी यदि कोई व्यक्ति राज्य द्वारा घोषित सीमा से नीचे की स्थिति में है और उसका सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है तो राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्ति की सहायता करे। यह सहायता उसके जीवनयापन तक सीमित हो प्रतिस्पर्धा में नहीं । यह सहायता देना राज्य का दायित्व न होकर कर्तव्य तक ही सीमित हो जिसका मतलब हुआ कि ऐसी सहायता लेना किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि वह राज्य को ऐसी सहायता देने के लिए मजबूर कर सके जबकि स्वतंत्रता में बाधा होने पर राज्य से सहायता प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और व्यक्ति राज्य को उसके लिए मजबूर कर सकता है। जब हम प्रत्येक व्यक्ति को समानता के अधिकार की गारंटी देने की घोषणा कर रहे हैं तो महिलाएँ अलग कैसे हैं। महिलाओं को अलग से समानता की बात करनी ही नहीं चाहिये। ऐसी घोषणा के बाद महिला आरक्षण की मांग स्वयं ही निरर्थक हो जाती है।

(झ) उत्तरार्ध

जन चेतना जागृति मंच (उ0प्र0)
संयोजक – छबील सिंह शिशौदिया
शिविर कार्यालय शाहपुर फगौता (गा0बाद)
मो0 नं0– 09760459770

देश के शहीदों का बलिदान व त्याग व महात्मा गांधी का संघर्ष लोक नियंत्रित स्वराज्य की स्थापना के लिए था। न कि संसद की मनमानी करने के लिए।

सेवा में,
राष्ट्रपति महोदया,
भारत नई दिल्ली।

विषयः– भारत के कानून मंत्री बीरप्पा मोईली का भारत गैस त्रासदी पर यह कहना कि न्याय में देरी के लिए न्यायालय जिम्मेदार है। तथा दिल्ली हाईकोर्ट के जज शिव नारायण धींगरा का यह कहना कि भारत में 90 फीसदी स्टाफ भ्रष्ट है।

महोदया,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित कराते हुए अनुरोध है कि समाचार पत्र अमर उजाला ने उपरोक्त दोनों महानुभावों के कथन की पुष्टि की है जो सत्य व वास्तविक है।

भ्रष्टाचार की पुष्टि राजीव गांधी पहले ही कर चुके थे कि एक रूपये में 15 पैसे ही जनता तक पहुॅचते है आप दोनों के कथन से भी पुष्ट हो रहा है, अपितु भ्रष्ट व्यवस्था की ही पुष्टि हो रही है। सत्ता में बने रहने के लिए दोनों का कथन भी औपचारिकता पूर्ण व्यक्तव्य ही लगता है।

शीर्ष न्यायालय ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिये हैं, परन्तु जिला न्यायालयों कि भयंकर कोलाहल में न्याय की बिक्री पर स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, तानाशाही को पोषित करना है।

आम जनता की पीड़ा व कथन है कि एक सेक्शन व एक जैसी धारा के अन्तर्गत केसो में भिन्न–भिन्न आदेश की मजिस्ट्रेट व जज चाहे तो जमानत दे न चाहे तो जेल भेज दे। कारण बताया गया कि मजिस्ट्रेट व जज अपने विवेक के द्वारा भी निर्णय लेने के अधिकृत हैं, विवेक के प्रयोग करने से सम्भव व असम्भव करना आसान हो जाता है।

चन्द गिने चुने मजिस्ट्रेट व जजों को छोड़कर स्टेट्स के स्तर से सेटिंग कर धनवान व ताकतवर, न्याय व जमानत पा लेते है। निर्दोष गरीब व कमजोर लोग साधारण झुठे केसों में प्रमाण की उपलब्धता के बिना ही देश की जेलों में बन्दी हो जाते है।

कुव्यवस्था की विडम्बना कि जिला जज आजीवन कारावास 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रू0 के आर्थिक दंड देने तक के लिए तो अधिकृत है लेकिन ऐसा केस जिसमें केवल एक वर्ष की सजा व 1 हजार रू0 जुर्माना हो सकता हो, उसे वह जज खारीज कर जमानत के लिए हाईकोर्ट भेजने की सजा और देता है।

भारत जैसे देश में पंचों को परमेश्वर व जज को ईश्वर मानने वाली जनता के साथ न्याय के नाम अन्याय हो। संविधान के अनुसार न्याय देने की व्यवस्था है या न्यायधीशों के विवेक के अनुसार न्याय की व्यवस्था है तथा न्यायधीशों के विवेक की कुछ सीमा सीमित है या असीमित है।वादी प्रतिवादी के लिए न्यायालय जनता के धन से संचालित हैं लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुवक्किल को कोर्ट में जाने के लिए प्रवेश पत्र बनवाने को परेशान तक किया जाने लगा।

सन् 1860 में लार्ड मैकाले की कानूनी शिक्षा के बहाने न्याय के नाम पर ऐसी व्यवस्था की गयी थी जिसमें न्याय वास्तविकता एवं सत्य पर आधारित नहीं था अपितु किताबों, दलीलों और गवाहों पर दिया जाने वाला धन और ताकत से खरीदने वाला था।इंडियन सर्विस एक्ट 1860 जनता को पुलिस की लाठी का शिकार बनाने और गुण्डो को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था थी। 1947 में इंडिया एक्ट 1935 का पुलिंदा संविधान के रूप में भारत को दिया गया, उसी समय से अंग्रेजों से संचालित होने वाली व्यवस्था से भारतीय व्यवस्था चलायी जा रही है।

जब किसी व्यवस्था में न्याय के बिकने व खरीदने का प्रचलन हो जाता है और संविधान को अलग कर संसद अपनी मनमानी कर देश को चलाने लगती है तो विषमता में अन्याय के कारण अपराध, बलात्कार , हत्या, लूट, मिलावट, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि चरम सीमा पर बढ़कर ऐसी व्यवस्था को निगल जाता है। देश के बिगडते हुए हालात चरम सीमा के नजदीक है।

संविधान नाम की इस किताब से आज तक देश के सभी राजनैतिक दल जनता के अरबों खरबों रू. का घोटाला कर गबन कर रहे हैं परन्तु इस किताब ने न्याय व सुरक्षा की गारंटी नहीं दी। बढ़ता हुआ निरंतर का अपराध आतंकवाद, नक्सलवाद, जो छत्तीसगढ़ आदि अनेको राज्य के निर्दोष व्यक्ति ही नहीं, सुरक्षा बलों के जवानों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा हैं और व्यवस्था शब्दों की संवेदना व्यक्त कर इतिश्री करती चली आती है, सुरक्षा के घेरे में बैठे सत्ताधारी हर हमले को शब्दों से चुनौती देते है। शहीदों का बलिदान व त्याग तथा गांधी का संघर्ष स्वराज्य की स्थापना के लिए था न कि इस तानाशाही के लिए कि सांसद व विधायक स्वयं सुरक्षित घेरे में रहे, जनता के धन से अपनी ऐशो आराम की सुविधा तथा अपना वेतन भत्ता जनता की स्वीकृति के बिना जब चाहे बढ़ाये। जबकि देश के लगभग 30 करोड़ व्यक्ति 15–16 रू. प्रतिदिन गुजारा करने को विवश हैं।जनता की समस्याओं के निदान भूख के नाम पर पुलिस की लाठी का प्रयोग कर दमनात्मक नीति का प्रमाण ही बढ़ती हुयी अराजकता व नक्सलवाद है।

गांधी विनोबा के अनुरूप लोक स्वराज्य के प्रेरणा श्रोत बजरंग मुनि जी के पचास वर्षो का गहन शोध तथा व्यवस्था परिवर्तन मंच के संरक्षक प्रमोद वात्सल्य एवं व्यवस्था परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य पंकज जी के भी निष्कर्ष है कि व्यवस्था परिवर्तन कर लोक स्वराज्य की स्थापना ही राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान है।

लोक स्वराज्य

0 परिवार, गांव, जिले से लेकर राष्ट्र तक की इकाईयों को अपने आंतरिक मामलों में निर्णय की पूरी स्वतंत्रता हो।

0 संविधान में केन्द्र व राज्य के विधायी अधिकारों के समान परिवार, गांव व जिले को भी विधायी अधिकार हो।

0 चुने हुए जन प्रतिनिधि को वापस बुलाने का भी अधिकार वोटर को हो।

0 शासन के अधिकार दायित्व तथा समाज में हस्तक्षेप न्यूनतम हो।

0 न्याय व सुरक्षा शासन का प्रथम दायित्व हो, कल्याणकारी कर्तव्य नीचे की इकाईयों के चाहने पर हो।

0 अनुत्तरदायित्व एवं कर्तव्यहीनता अपराध की श्रेणी में हो।

अतः महोदया जी आप से अनुरोध है तथा कानून मंत्री वीरप्पा मोईली जी से अनुरोध व सुझाव है कि समाज हित में जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए राष्ट्र की अखंडता बनाये रखने के लिए आतंकवाद, नक्सलवाद आदि अपराध समाप्त करने के लिए लम्बे चौड़े कानून बनाकर समाप्त करना सम्भव नहीं रह गया है। अपितु विचारों का मंथन व चिंतन का निष्कर्ष लोक स्वराज्य की स्थापना ही समस्याओं का समाधान हैं। देश की जनता लोक स्वराज्य स्थापित होने की कृतज्ञ होगी, इस पहल की शुरूआत करें, कष्ट के लिए धन्यवाद।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधानमंत्री महोदय 2. लोक सभा अध्यक्ष महोदय 3. कानून मंत्री वीरप्पा मोईली 4. श्रीमति सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष (कांग्रेस) 5. राजनाथ सिंह सांसद एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष (भाजपा)